राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –2193/2011/सवाईमाधोपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त–गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स नवभारत दाल एण्ड ऑयल मिल, गंगापुर सिटी। .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्रीमती आशा कुमारी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी.सी.सोगानी,
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :09.12.2014

निर्णय

अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर (जिसे आगे ''निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स), भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **27.04.2011** के विरूद्ध पेश की गयी थी, जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 29 सपठित राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 34 सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे ''केन्द्रीय अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 9 के तहत् निर्धारण वर्ष 2003–04 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 18.06.2010 के जरिये कायम मांग राशि रू.10,34,030/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त कर, प्रकरण को कतिपय निर्देशों के साथ अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया गया है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि का मूल निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 29 के तहत् निर्धारण आदेश दिनांक 28.10.2005 को आदेश पारित कर, तद्नुसार मांग राशि कायम की गयी। उक्त पारित आदेश में निर्धारण अधिकारी द्वारा कम क्रय आरोपित किये जाने के कारण आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा जरिये पत्रांक 1330 दिनांक 10.08.2007 के पुनः करारोपण करने हेतु अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों

लगातार.....2

के क्रम में अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि के संबंध में अधिनियम की धारा 30 के तहत् करारोपण हेतु नोटिस जारी किया गया । जारी नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर तद्नुसार मांग राशि कायम कर, पुनः निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 30 के तहत् दिनांक 06.09.2007 पारित किया गया। उक्त आदेश दिनांक 06.09.2007 क विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 08.03.2006 व कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स शाह हीरालाल पुखराज, अजमेर बनाम् वा.क.अ. अजमेर निर्णय दिनांक 17.08.2006 (आर.टी.बी.) सी.एस.टी. 112 पेज 138 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, अपीलीय आदेश दिनांक 21.05.2008 के द्वारा कय कर 1 प्रतिशत की दर से करारोपण करने हेतु प्रकरण को अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त पारित अपीलीय आदेश दिनांक 21.05.2008 के विरूद्ध विभाग द्वारा कर बोर्ड के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी। प्रतिप्रेषित प्रकरण में समय सीमा समाप्ति निकट होने के कारण अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश पूर्व में पारित निर्धारण आदेश दिनांक 06.09.2007 को आधार मानकर, अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण निर्देशों की पालना में पुनः प्रतिप्रेषण निर्धारण आदेश दिनांक 18.06.2010 पारित कर, तद्नसार मांग राशियां कायम की गयी। कर बोर्ड की पीठ द्वारा विभाग द्वारा प्रस्तत उपुर्यक्त अपील को प्रतिप्रेषण निर्धारण आदेश दिनांक 18.06.2010 पारित कर दिये जाने के कारण "सारहीन" होना घोषित कर, निर्णय दिनांक 15.12.2010 पारित किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 18.06.2010 के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष पुनः अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को आदेश दिनांक 27.04.2011 के द्वारा स्वीकार कर, पूर्व में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 21.05.2008 में दिये गये निर्देशों की पालना में कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त पारित अपीलीय आदेश दिनांक 27.04.2011 के विरूद्ध अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

लगातार.....3

राजस्व की ओर से उप—राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन कर कथन किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक **08.05.2013** की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक **27.04.2011** के जरिये अपील स्वीकार कर, प्रकरण अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसकी पालना में निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक **08.05.2013** के जरिये प्रतिप्रेषित प्रकरण का निस्तारण कर दिया है। अतः प्रकरण के निस्तारित हो जाने के कारण, विवादाधीन प्रकरण में अपीलीय आदेश दिनांक **27.04.2011** के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त अपील ''सारहीन'' हो गयी है। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:—

(i)सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)

(ii)सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 केशरीलाल (1991) 9 आर. टी.जे.एस 8 । (राज.)

(iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, ऐन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं0 (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)

(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं0, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

(v) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स ऊंझा फार्मेसी, उदयपुर अपील संख्या 2052/2005/उदयपुर 27 टैक्स अपडेट 205 (आर.टी.बी.)

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक द्वारा दिये गये तर्कों का समर्थन कर, इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, प्रस्तुत अपील **''सारहीन''** (INFRUCTUOUS) घोषित करने का निवेदन किया गया ।

उभयपक्षीय बहस का मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् माननीय न्यायालयों के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया । अध्ययन करने के पश्चात् इस पीठ के विनम्र मतानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत **25**

लगातार.....4

टैक्स अपडेट 59 व 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् माननीय राजस्थान कराधान अधिकरण के न्यायिक निर्णय 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.) तथा कर बोर्ड की समन्वय पीठ के प्रोद्धरित निर्णय **38 टैक्स वर्ल्ड 16** में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में, आदेश दिनांक **08.05.2013** पारित किये जाने के फलस्वरूप, प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर, गुणावगुण के बिन्दु पर विचार किये बिना ही प्रस्तुत अपील "सारहीन" घोषित की जाती है।

परिणामतः, अपील सारहीन घोषित कर, खारिज की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

9.12.14
(आशा कुमारी)
सदस्य

9.12.2014
(मदन लाल)
सदस्य